

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

म  
अ  
म

२२/१२/२०१८ आप प्रभावली प्रकाश हमें अधिकार का बाक एपिक  
उच्च न्यायालय जीधपुर में स्थगन लादी रखा जा  
ई.वपी अधिकार) मा. उच्च न्यायालय जीधपुर के  
आदेश को रखा जा रहा है कि प्रस्ताव ही प्रकरण में  
अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सहमति दी गई। प्रकरण  
1993 में लेखित होकर इंतजार को रखा कि  
क्राफ्ट वपी में लेखित है कि कोई प्रभावी कार्यवाही  
स्थगन के कारण नहीं हो पाई है अतः अंतरिम  
ऑर पर दर्ज के साथ सुनाई होकर डाकिल कपल  
है प्रस्ताव प्रकरण Re Open करवाकर कि  
मा. उच्च न्यायालय कि आदेश के अधीन कार्यवाही  
हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रभावली पर ऑर लगाया जावे  
कि प्रभावली का कोई बाक मय न किया जावे

निकेतन कुमार शर्मा

Om



अध्यक्ष अधिकारी  
रायसिंहनगर

